अफोर्डेबल स्कूलिंग
कमेंडेबल लर्निंग

NISA
National Independent Schools Alliance

namaskar

खंड १ | भाग १ | जनवरी-फ़रवरी २०१४ | English Adaptation
नीसा परिवार की ओर से

१९ राज्य
८०००+ स्कूल
१६,००,०००+ शिक्षार्थी
आज ही **सदस्य बनिए**! नीसा से जुड़िये

नेशनल इन्डिपेन्डेन्ट स्कूल्स एलायंस (नीसा) भारत के उन सभी अफोर्डेबल प्राईवेट स्कूलों (एपीएस) की एकीकृत आवाज़ है, जो आर्थिक तौर पर गरीब लोगों तक सस्ती और गुणता-पूर्ण शिक्षा पहुँचाने के संयुक्त उद्देश्य से जुड़े हुए हैं!

सम्पादकीय: शिक्षकों के लिए अधिक कार्य-समय?

दिल्ली सरकार ने हाल में ही राज्य के सभी सरकारी, सरकारी-सहायताप्राप्त और ग़ैर-सहायताप्राप्त स्कूलों के **शिक्षकों का कार्य-समय बढ़ाकर** सप्ताह में (मौजूदा ३६ घंटों से) ४५ घंटे करने का निर्णय लिया. बड़े पैमाने पर **शिक्षकों द्वारा विरोध** के चलते यह **निर्णय वापिस** ले लिया गया.

जहाँ शिक्षा विभाग की पद्मिनी सिंगला का मानना हैं कि यह निर्णय आरटीई एक्ट के अनुरूप है, और आरटीई शाखा ने एक्ट के सेक्शन १९ और 25 के मातहत इस विषय में आदेश जारी किये थे, वहीं यह हमें एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है — शिक्षकों के कार्य-समय और बच्चों के सीखने के परिणामों में परस्पर क्या सम्बन्ध है?

अपने **प्रारंभिक संस्करण** में हमने कार्तिक मुरलीधरन द्वारा किये एक **स्कूल चयन प्रयोग के निष्कर्ष** साझा किये थे, और पाया था कि निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से (१) थोड़े बेहतर सीखने के परिणाम देते हैं और (२) मात्र एक तिहाई लागत से संचालित होते हैं.

हमने यह भी पाया कि ऐसे स्कूलों में प्रतिदिन और प्रतिवर्ष ज्यादा समय के लिए पढ़ाई होती है, और साथ ही, शिक्षकों की ग़ैर-हाज़िरी कम और कार्यकलाप ज्यादा होते हैं.

पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण सवाल है: क्या शिक्षकों का कार्य-समय बढ़ा देने से बच्चों के सीखने के परिणाम सुधर जाते हैं?

आरटीई प्लेटफ़ॉर्म के इस विषय पर अभिमत में आप अपना वोट www.righttoeducation.in पर दर्ज़ कर सकते हैं.

इवेंट्स

प्रमोचन | मार्च २०१४, नयी दिल्ली

द आरटीई प्लेटफ़ॉर्म

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, सेंट्रल स्कुअर फाउंडेशन की साझेदारी से राइट टु एजुकेशन (आरटीई) प्लेटफ़ॉर्म को फिर से लॉन्च कर रहा है. www.righttoeducation.in पर उपलब्ध यह प्लेटफ़ॉर्म, शिक्षा के अधिकार से जुडी किसी भी जानकारी के लिए एक सम्पूर्ण संसाधन है. आसान नेविगेशन, सोशल मीडिया से लैस कार्यक्षमताओं और बेहतर कंटेंट के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म को एक नए अवतार में उतारा जा रहा है. असल तिथि के लिए यहाँ देखें.

ई-वॉल्क | अप्रैल २०१४, ऑनलाइन

द आरटीई वॉल्क

राइट टु एजुकेशन (आरटीई) प्लेटफ़ॉर्म को पूरी तरह जानने के लिए हमारे वेबसाइट सफ़र से जुड़िये. ३० दिन के इस ऑनलाइन सफ़र से आपको आरटीई और भारत के शिक्षा तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी. इस इवेंट से https://www.facebook.com/events/566699086733459/ पर जुड़िये.

द आरटीई प्लेटफ़ॉर्म | द आरटीई वॉल्क

फ़ीचर: असर २०१३ — मुख्य निष्कर्ष

प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सीईओ-प्रेसिडेंट माधव चव्हाण एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) २०१३ के नोट्स में लिखते हैं:

"दुसरे पहलुओं के बीच में, असर सर्वेक्षण तुरंत गौर करने लायक दो महत्वपूर्ण मुद्दे उभारते हैं: पहला, **नाटकीय रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूलों की ओर बढ़ता रुझान**. यह विकास हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक नए नज़रिए से देखने की मांग को सामने लाता है. दूसरा मुद्दा है, **सीखने का संकट**. इसका असर सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों पर पड़ता है, जहाँ बड़ी संख्या में ग़रीब तबके के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं. सीखने का यह दोहरा संकट एक तरफ़ देश की अर्थव्यवस्था के लिए, तो दूसरी तरफ़ देश के लाखों बच्चों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बन रहा है."

'ओल्ड चैलेंज़ेस फॉर अ न्यू जनरेशन' नाम से यह लेख यहाँ पढ़ें: http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2013/ASER2013_report%20sections/madhavchavanarticle.pdf.
असर २०१३ की अनंतिम प्रतिलिपि यहाँ से डाऊनलोड करें: http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER_2013/ASER2013_report%20sections/aser2013fullreportenglish.pdf.

क़ानूनी सलाह लें: लीगल बाउंड्रीज़

प्रश्न: क्या आरटीई एक्ट कहता है की निजी स्कूल अब कोई फीस नहीं ले सकते? निजी स्कूलों के लिए और क्या नियम हैं?
उत्तर: नहीं! निजी और विनिर्दिष्ट (स्पेसिफ़ाइड) स्कूल पहले की तरह फीस ले सकते हैं. लेकिन, उन्हें अपनी आगामी कक्षाओं में पिछड़े और कमज़ोर वर्गों से कम से कम २५% बच्चों को, बिना किसी फीस के दाखिल करना होगा. उन्हें आरटीई शिड्यूल के सभी मानदंडों और मानकों का पालन करना होगा, जिसके लिए तीन साल का वक़्त दिया जायेगा. इन स्कूलों के शिक्षकों को पाँच साल की तय सीमा में निर्धारित योग्यता हासिल करनी होगी. तीन साल की सीमा में सभी निजी स्कूलों को मान्यता प्राप्त करनी होगी; ऐसा न कर पाने की स्थिति में उस स्कूल को बंद करना होगा, और यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसे स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा. कोई भी स्कूल बच्चों या अभिभावकों की परीक्षा या साक्षात्कार नहीं ले सकता. सभी दाखिले लॉट्री ड्रा (रैंडम सिलेक्शन) से होंगे, और उल्लंघन करने पर आर्थिक सज़ा दी जाएगी. ऐसे सभी स्कूलों को सत्र की शुरुआत में ही अपनी फीस घोषित कर देनी होगी, और सत्र के दौरान किसी भी तरह का शुल्क (कैपिटेशन फ़ी) नहीं ली जा सकती.

प्रश्न: निजी सहायताप्राप्त स्कूलों के लिए आरटीई एक्ट में क्या प्रावधान हैं?
उत्तर: इन स्कूलों को कम से कम २५% बच्चों को, प्राप्त अनुदान राशि के अनुपात में मुफ्त शिक्षा देनी होगी. ध्यान दें, ग़ैर-सहायताप्राप्त निजी अल्पसंख्यक (माइनॉरिटी) स्कूल इस (२५% आरक्षण) उपनियम से मुक्त हैं.

लीगल बाउंडरीज़ आपकी आरटीई और निजी स्कूलों से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर है, चाहें आप स्कूल एडमिनिसट्रेटर, ओनर या अभिभावक हों .

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी आरटीई से जुड़े मसलों पर **मुफ्त क़ानूनी सलाह और राय** देता है. हम कानूनी विशेषज्ञ और आईजस्टिस अधिवक्ता **प्रशांत नारंग** से सलाह मशवरा लेते हैं.

अपने प्रश्न prashant@ijustice.in पर भेजें. अपनी बात साफ़ और संक्षिप्त रखें और शीर्षक में: 'लीगल बाउंडरीज़ - नीसा प्रश्न' लिखें:

आरटीई से जुड़े क़ानूनी सवाल हैं?
मुफ्त सलाह और राय लें!

अभिमत: शिक्षा २०२५: शिक्षु पहले!

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के पाँचवे स्कूल चयन राष्ट्रीय सम्मलेन (एससीएनसी) में भविष्य की शिक्षा पर 'शिक्षा २०२५: शिक्षु पहले!' विषयवस्तु के अंतर्गत तीन सत्रों — 'शिक्षा के आदर्शों में बदलाव', 'समझाने के लिए शिक्षण', और 'नीति पर पुनर्विचार' — में जमकर विचारविमर्श हुआ. इसी संदर्भ में एक पैनल में वक्ताओं ने उन सुझावों और योजनाओं पर चर्चा की, जो आज से १० वर्ष बाद पीसा जैसे अंतर्राष्ट्रीय अस्सेस्मेंट्स में भारत को एक सम्माननीय स्थान दिला सकेंगे. हम कुछ अंश साझा कर रहे हैं: पूर्ण रिपोर्ट यहाँ उपलब्ध है: http://schoolchoice.in/scnc2013/event-report.pdf.

"पहला, हमें शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय विज़न निर्धारित करना चाहिए. दूसरा, हमें राष्ट्रीय और राजकीय स्तरों पर विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखने के लिए शिक्षा विनियामक संस्थाएँ लानी होंगी. और तीसरा, हमें शिक्षा के क्षेत्र में निजी, लाभ-बनानेवाले निवेशों को बढ़ावा देना होगा."

अमित कौशिक
एब इनिशियो कंसल्टिंग

"पहला, हमें शिक्षुओं के सीखने के परिणामों के लिए मानक, अन्य-पक्षीय (थर्ड पार्टी) राष्ट्रीय मूल्यांकन करने होंगे. दूसरा, विभिन्न तरह की पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए एक एक अनुकूल वातावरण बनाकर प्रयोगों को बढ़ावा देना होगा. तीसरा, सेवाकालीन शिक्षकों को दिए जा रहे मौजूदा प्रशिक्षणों को, अच्छे प्रमाणपत्र और अन्य तरह के प्रोत्साहन के माध्यम से बेहतर बनाना होगा."

रम्या वेंकटरमण
म्ककिन्ज़ी एंड कंपनी

"पहला, हम सरकारी तंत्र को पूरी तरह नज़रंदाज़ नहीं कर सकते. अधिकतर चीज़ें नीति के स्तर पर नहीं, बल्कि अमल के स्तर पर अटकी हुई हैं — हमें बस बेहतर निगरानी रखनी है. दूसरा, दिल्ली से एक ऐसे ढांचे जिसे राज्यों में एक निश्चित स्तर के विकेंद्रीकृत नियंत्रण से ढाला जा सके, की ज़रूरत है. तीसरा, हमें अधिक रिसर्च करनी चाहिए — जिससे हमें पूर्णतया पता चल सके कि क्या काम करता है और क्या नहीं."

कार्तिक मुरलीधरण
सन डिएगो विश्वविद्यालय , कैलिफ़ोर्निया

नीसा कार्य पर: एक सम्पूर्ण स्कूल बनाने की ओर | एकता सोधा

एकता सोधा, वाइस प्रेसिडेंट—गुणवत्ता, नीसा और गुजरात की सदस्या लिखती हैं:

बजट प्राइवेट स्कूल अधिकतर सरकारी स्कूलों से बेहतर काम करते हैं, यह बात अब आमतौर पर स्वीकार्य है. लेकिन, हमें यहाँ सोचना बंद नहीं करना है. हमारे स्कूलों में अभी भी सुधार की बहुत गुंजाईश है. कुछ विचार:

१. **गुणवत्ता**: ज़मीनी स्तर पर गुणवत्ता पाने के लिए कई आयामों पर गौर करना होगा. लेकिन, यह सभी बहुत मंहगे तरीकों और स्कूल का बजट खाली कर देने की कीमत पर नहीं होना चाहिए. कम-लागत वाले (लो-कॉस्ट) सेक्टर की खूबी ही बेहद कम दाम में कीमत के प्रति संवेदनशील अभिभावकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देना है.

२. **शिक्षक**: शिक्षक किसी भी अच्छे स्कूल के निर्माण खंड होते हैं. अच्छे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश के निश्चित परिणाम निकलते हैं. यह बुनियादी कार्यक्रम—कक्षा में बोर्डवर्क कैसे करें, शिक्षुओं को सही सवाल पूछना कैसे सिखाएं, समझाने की बजाय कर के कैसे दिखाएं, प्रासंगिक उदाहरण कैसे दें, और अंत में, शिक्षा को कैसे किताबों से आगे ले जाएँ—से जुड़े हो सकते हैं. स्कूलों में शिक्षकों के बड़े स्तर पर अवागमन के चलते आतंरिक प्रशिक्षण ज़रूरी हो जाता है.

३. **प्रौद्योगिकी**: डिजिटल क्लासरूम के रूप में टेक्नोलॉजी को अपना लेना जहाँ अपेक्षाकृत आसान है, वहीं सिर्फ मौजूदा

कंटेंट को चलाने और दिखाने से ज्यादा कर पाने पर प्रशिक्षण पाना अभी भी मुश्किल है. उदहारण के तौर पर, हम क्यों अपने स्मार्ट बोर्ड्स को इन्टरनेट से नहीं जोड़ सकते, और शिक्षुओं के लिए सारी जानकारी सामने रखकर, उन्हें उसे आंकने-समझने और फलत:, ज्ञानवर्धन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते?

४; **कक्षा**: हमारी कक्षाएं ऐतिहासिक रूप से हमेशा एक जैसी ही रही हैं. हम उनका पुनर्निर्माण क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों हमारे सीखने-सिखाने के तरीकों को 'एक-से-कई' से 'स्वयं-सीखने' की ओर नहीं ले जा सकते, जहाँ हमारा काम सिर्फ सुविधा देना और मार्गदर्शन करना रह जायेगा. अंत में, यह २१वीं सदी के शिष्य को तेज़ी से बदलते युग के बारे में सिखाने और आने वाले दशकों की नौकरियों के लिए तैयार करने के बारे में है, जिनकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती.

एकता को ektasodha@sodhaschools.com पर लिखिए.

RTE NEWS

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया | जनवरी २१, २०१४
The left out in right to education
http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/The-left-out-in-right-to-education/articleshow/29126054.cms

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस | जनवरी २०, २०१४
Over 1,400 Schools Await NOC from School and Mass Education Department
http://www.newindianexpress.com/states/odisha/Over-1400-Schools-Await-NOC-from-School-and-Mass-Education-Department/2014/01/20/article2009665.ece

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया | जनवरी १०, २०१४
RTE compliance deadline likely to be extended, again
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2014-01-10/kolhapur/46065558_1_rte-norms-10-infrastructure-norms-education-department

द न्यूयॉर्क टाइम्स | जनवरी २, २०१४
Private Schools for Poor Pressured by Right to Education Act
http://india.blogs.nytimes.com/2014/01/02/private-schools-for-poor-pressured-by-right-to-education-act/?_php=true&_type=blogs&_r=0

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया | नवम्बर २०, २०१३
Schools fail to comply with RTE norms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/Schools-fail-to-comply-with-RTE-norms/articleshow/26063304.cms

Courtesy: RightToEducation.in

NISA
National Independent Schools Alliance
ए ६९, हौज़ ख़ास, नयी दिल्ली ११००१६ भारत | +९१ ११ २६५३७४५६, ९८९९४८५६६७, ८१३०५६२७०२
www.nisaindia.org | nisa@ccs.in सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की एक पहल

/RightToEducation
theRTEplatform
/company/Centre-for-Civil-Society
/theRTEplatform
SpontaneousOrder.in